

तत्काल

क्रमांक:- 42/1/2010-5पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक 22 मई, 2014.

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार/सभी प्रधान सचिव व आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष ।
3. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलायुक्त ।
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।
5. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड /निगम /प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक /प्रबन्धक निदेशक ।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा ।

विषय:-

सरकारी एवं अर्द्ध -सरकारी चालक संघ द्वारा दिनांक 25.1.2011 व 27.1.2011 दो दिन की हड़ताल अवधि को को लीव आफ कार्डिन्ड ड्यू तथा उनके खिलाफ की गई दण्डात्मक कार्यवाही खत्म करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय बारे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी एवं अर्द्ध -सरकारी चालक संघ द्वारा दिनांक 25.1.2011 व 27.1.2011 दो दिन की हड़ताल पर हरियाणा के कुछ विभागों/बोर्ड /निगमों आदि में जिन चालकों ने दिनांक 25.1.2011 व 27.1.2011 दो दिन की हड़ताल में भाग लिया था उस हड़ताल अवधि को देय अवकाश मान लिया जाये तथा उनके खिलाफ की गई दण्डात्मक कार्यवाही भी खत्म कर दी जाये ।

2. आपसे अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएं ।

भवदीय

Jasnaul Singh
अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक 22 मई, 2014.

अशा क्रमांक 42/1/2010-5पोल

इसकी एक प्रति श्री प्रताप सिंह राणा राज्य प्रधान, सरकारी एवं अर्द्ध -सरकारी चालक संघ रजि0 48 मकान न0 222 सैक्टर-7ए चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है ।

Jasnaul Singh
अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

Date: 18/05/2014

यशपाल, मुखा प्रमुख